राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 12564/2017**

| **अपीलार्थी** | **बनाम** | **प्रत्यर्थी** |
|---|---|---|
| केसर मल शर्मा<br>वार्ड नं. 12, रींगस,<br>सीकर,राजस्थान | | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं<br>उपशासन सचिव<br>स्वायत शासन विभाग जयपुर |

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 13-04-2018**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री चन्द्र स्वरुप माथुर, सलाहकार, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 6-2-17 के द्वारा उनके पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 22-1-17 पर अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 19-4-17 से संसूचित कर दिया गया था कि उनके आवेदन पत्र में उल्लेखित पत्र विभाग में प्राप्त होना नहीं पाया जाता है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 19-4-17 प्रस्तुत कर अंकित किया है कि उनके विभाग में सूचना के आवेदन में उल्लेखित पत्र दिनांक 6-2-17 प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि सूचना के आवेदन में जिस शिकायती पत्र का उल्लेख किया गया है वह पत्र दिनांक 22-1-17 था परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय दिनांक 19-4-17 में सूचना के आवेदन की ही दिनांक का अंकन किया जाना प्रतीत होता है।

8. अतः प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को सूचना के आवेदन के साथ संलग्न शिकायती पत्र दिनांक 22-1-17 के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं सटीक विनिश्चय/ सूचना अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक भिजवाना सुनिश्चित करें।

9. अस्तु, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित।

**(सुरेश चौधरी)**
**मुख्य सूचना आयुक्त**